

अज अदालत

उप जिला कलक्टर

मुकाम

रायसिंहनगर

बनाम कुठालाल राजक
 किस्म मुकदमा 17.5.18 Act मुकदमा नं. 75
17518

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17-5-18	<p>आज यह पत्रावली तहसीलदार (भू.अ.) रायसिंहनगर के पत्र क्रमांक/18/149 दिनांक 17-5-18 के द्वारा राजस्व लोक अदालत "न्याय आप के द्वार-2018" कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत 618 LPM में प्रार्थीगण के नाम चक 5 LPM की जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 के खाता नं. 8, 38 ... में खातेदार <u>लोहननाथ</u> <u>उर्फ लोहननाथ</u> अंकित है। जिसका नाम <u>लोहननाथ</u> है। जिसकी <u>लोहननाथ</u> की दुरुस्ती की जाने की अभिशंषा की है।</p> <p>उक्त प्रकरण में तहसीलदार(भू.अ.) रायसिंहनगर की रिपोर्ट दिनांक 17-5-18 की पृष्ठ मजमआम में उपस्थित ग्राम वारिसान व सरपंच ने की है। उक्त विवेचन के आधार पर वाके चक 5 LPM के खाता नं. 8, 38 में दर्ज खातेदार <u>लोहननाथ</u> दुरुस्ती की जाती है। बाकी अंकन बदस्तुर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती की जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार के नाम जारी हो। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर फैंसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो।</p> <p>आदेश खुले मजमआम में सुनाया गया।</p>	

उप राजक लोक अदालत
 रायसिंहनगर घास-28 8
 कैम्प कोर्ट 618 LPM
 उपसहायिका (राजस्व) रायसिंहनगर